पत्रांक संख्या – 15/डी0 एल0 ए0–नवादा (रा0उ0प0) – 04/2013 – 1359/रा0

समाहरणालय नवादा
जिला भू–अर्जन कार्यालय, नवादा।

अधिघोषणा

भू–अर्जन दिनांक 25-05-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**शेरपुर**, थाना **बारिसलीगंज**, थाना न0– **495** परगना– जिला– **नवादा** से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **राज्य उच्च पथ संख्या–83 (बागी–बरबीधा)** के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम–**शेरपुर**, थाना न0– **495** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमवेश **0.155** एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा सं0 निम्नांकित है:–**737, 1775, 1713, 1754, 1776, 1718, 1719, 1717 अंश खेसरा**

रकवा:– **0.155 एकड़,**

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर:– **735, 1039, Road, Road, Road, 1712, 1716, 1718, 1719 & 1715**

दक्षिण:– **Road, Road, 1776, 1774, 1777, Road, 1719, 1720, Road & 1718**

पूरब:– **736, 1039, 1754, 1753, 1773, Road, Road, Road, Road & Road**

पश्चिम:– **719, 1019, Road, Road, Road, 1715, Canal, Canal, Canal & 1716**

भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नही है, किन्तु खानों और खनिजों से केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिया जायेगा।

यह अधिघोषणा बिहार भू–अर्जन अधिनियम 1 of 1894 की धारा 6 एवं अधिनियम XVIII of 1885 की धारा 3(1) के उपबन्धो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नवादा।	अपर समाहर्त्ता नवादा	समाहर्त्ता नवादा	सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या–15/डी0 एल0 ए0–नवादा (रा0उ0प0) – 04/2013 – 1359/रा0,
पटना, दि0–24-05-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, नवादा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

21/5/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।